## न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
**(पीठासीन अधिकारी: के.आर.खौड आर.ए.एस.)**

**आवेदक**

राजस्थान राज्य जरिये श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

**बनाम**

**प्रतिवादी/अभियुक्त**

1. मोतीलाल घांची पुत्र लीलाराम घांची, जाति- घांची, निवासी- नर सिंह जी मन्दिर, जावाल, तहसील- सिरोही, जिला- सिरोही
   (खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक)

फर्म:- अमित किराणा स्टोर, हरजी चौराहा, जावाल, जिला- सिरोही

2. सुरेश कुमार अग्रवाल पुत्र घिसुलाल जी, निवासी- पिचका वाली गली, जैन मंदिर, सुमेरपुर, जिला-पाली (खाद्य कारोबारकर्ता एवं सप्लायर)

फर्म:- सालासर ट्रेडर्स, शंकर बा होटल के पास, मेन बाजार, सुमेरपुर, जिला- पाली

3. मनोज कुमार अग्रवाल पुत्र रामचन्द्र अग्रवाल, निवासी- बच्चू भाई दाल मिल्स, ई 204, सेकेंड फेज, करणी इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर-334001
   (खाद्य कारोबारकर्ता एवं निर्माता फर्म)

फर्म:- BACHCHU BHAI DALL MILLS, E-204 II Phase, Karni Industrial Area, Bilaner, Rajasthan-334001

**प्रकरण संख्या: 37/2021**

**"अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 "**

**-: निर्णय :-** **दिनांक 11 फरवरी, 2022**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 17.12.2020 को 11.00 ए.एम. पर फर्म अमित किराणा स्टोर, हरजी चौराहा, जावाल, तहसील- सिरोही, जिला- सिरोही पर पॅहुचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से मोतीलाल घांची पुत्र लीलाराम घांची, जाति- घांची, निवासी- नर सिंह जी मन्दिर, जावाल, तहसील- सिरोही, जिला- सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ उडद दाल (श्री रामदूत ब्राण्ड)का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ उडद दाल (श्री रामदूत ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं दुकान के अन्दर विक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ उडद दाल (श्री रामदूत ब्राण्ड) के 2 पैक्ड बैग (प्रत्येक 30 किलोग्राम) में से एक बैग को खोलकर अच्छी तरह हिलामिलाकर एकरुप किया एवं इस एकरुप की हुई उडद दाल (श्री रामदूत ब्राण्ड) में से [illegible] उडद दाल (श्री रामदूत ब्राण्ड) को जांच हेतु एक साफ सूखे, खाली भिगोने में खरीदी [illegible] उडद दाल (श्री रामदूत ब्राण्ड) की

.....पेज दो

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:08:27 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001

कीमत 400/- रुपये नकद अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म संख्या 5ए तैयार कर, खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर किये एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फार्म नं. 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहान को चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक के जार दिखाए एवं लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी के कोड व क्रमांक S-1328, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर विक्रेता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। फिर खरीदशुदा उडद दाल (श्री रामदूत ब्राण्ड) को चारों प्लास्टिक के जारों में बराबर-बराबर मात्रा में भरा एवं जारों को ढक्कन से एयरटाईट बन्द किया। चारों नमूना जारों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया एवं एक नमूनें के साथ सेम्पल का मूल लेबल लगाया। चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1328 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता मोतीलाल घांची व गवाहान ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये व मैनें स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पॅहुच कर फार्म नंबर 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उन पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारो नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा व नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नंबर 6 की दो प्रतियां अलग से दो लिफाफे में रखकर सील चपडी से सिल्ड किया एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 18.12.2020 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नं. 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 17.12.2020 को शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिरोही को मेरे द्वारा जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो असल संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से खाद्य पदार्थ उडद दाल (श्री रामदूत ब्राण्ड) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता मोतीलाल घांची से जांच हेतु लिया गया खाद्य पदार्थ उडद दाल (श्री रामदूत ब्राण्ड) का नमूना S-1328 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। इस प्रकरण से संबंधित समस्त मूल कागजात मय गजट नोटिफिकेशन, पदस्थापन आदेश, एरिया नोटिफिकेश... हेतु प्रस्तुत किये। अभिहित अधिकारी ने पत्रावली का अवलोकन व ... प्रतिवादीगण के द्वारा ...ज तीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:08:27 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही-307001

मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ उडद दाल (श्री रामदूत ब्राण्ड) के विक्रय को उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ उडद दाल (श्री रामदूत ब्राण्ड) का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। अतः प्रतिवादीगण पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना किया जावे।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रतिवादी संख्या-1 (मोतीलाल) ने इस न्यायालय में सुनवाई तिथि 01.11.2021 को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या-2 (सुरेश कुमार अग्रवाल) को नोटिस की तामिल होने पर इस न्यायालय में सुनवाई तिथि 11.8.2021 को उपस्थित हुआ, लेकिन जवाब प्रस्तुत नही किया। प्रकरण में प्रतिवादी मनोज कुमार अग्रवाल को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही होने एवं कोई जवाब प्रस्तुत नही करने के कारण प्रकरण में प्रतिवादी संख्या-3 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में बहस हेतु नियत सुनवाई तिथि 31.1.2022 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा भी उपस्थित नही हुये। अतः प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जा रहा है।

(3) हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि दिनांक 17.12.2020 को 11.00 ए.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म अमित किराणा स्टोर, हरजी चौराहा, जावाल, तहसील व जिला-सिरोही पर गये। उक्त फर्म अमित किराणा स्टोर में खाद्य कारोबारकर्ता व मालिक की हैसियत से मोतीलाल घांची पुत्र लीलाराम घांची, जाति- घांची, निवासी- नर सिंह जी मन्दिर, जावाल, तहसील व जिला- सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ उडद दाल (श्री रामदूत ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म उडद दाल (श्री रामदूत ब्राण्ड) के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ उडद दाल (श्री रामदूत ब्राण्ड) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष खाद्य कारोबारकर्ता मोतीलाल घांची को प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने गवाहान के समक्ष दुकान के अन्दर अलमारी की रैक में बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ उडद दाल (श्री रामदूत ब्राण्ड) के 2 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक 30 किलोग्राम) में से खाद्य पदार्थ उडद दाल (श्री रामदूत ब्राण्ड) के एक पैक बेग को खोलकर उडद दाल (श्री रामदूत ब्राण्ड) को अच्छी तरह हिलामिलाकर एकरुप किया व इस एकरुप की हुई उडद दाल (श्री रामदूत ब्राण्ड) में से 4 किलो[illegible] दाल (श्री रामदूत ब्राण्ड) को जांच हेतु एक साफ, सूखें, [illegible] [illegible] उसकी कीमत राशि

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:08:27 IST
Reason: SelfAttested

...पेज चार

आत. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

400/- (अक्षरे रुपये चार सौ मात्र) विक्रेता मोतीलाल घांची को नकद अदा कर खरीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता मोतीलाल घांची, गवाहान एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहान को चार साफ सूखे खाली प्लास्टिक जार दिखाये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं कमांक S-1328, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर खाद्य कारोबारकर्ता मोतीलाल घांची व गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये तथा खरीद शुदा उडद दाल (श्री रामदूत ब्राण्ड) को चारों प्लास्टिक जारों में बराबर-बराबर मात्रा में भरा तथा जारों को ढक्कन से एयरटाईट बन्द किया। चारों नमूना जारों पर पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया एवं एक नमूना जार के साथ उडद दाल (श्री रामदूत ब्राण्ड) का मूल लेबल लगाया। चारों नमूनाा भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1328 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहान के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूनों भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की गई। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबाकर्ता मोतीलाल घांची, उक्त गवाह एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ कय का बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म अमित किराणा स्टोर, हरजी चौराहा, जावाल, तहसील व जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता मोतीलाल घांची से खाद्य पदार्थ उडद दाल (श्री रामदूत ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ उडद दाल (श्री रामदूत ब्राण्ड) के चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पँहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की तथा चारों नमूना भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नम्बर- 6 की दो-दो प्रतियां अलग से दो लिफाफे में रखकर सिल चपडी से सिल्ड किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 18.12.2020 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा भावना देवी, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपल[illegible] उस पर खाद्य विश्लेषक, [illegible] पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:08:27 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही-307001.

जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग व फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफावे को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 17.12.2020 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में खाद्य पदार्थ उडद दाल (श्री रामदूत ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1328 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1078/Act/2020/53 दिनांक 06.1.2021 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म अमित किराणा स्टोर, हरजी चौराहा, जावाल में खाद्य कारोबारकर्ता मोतीलाल घांची से वास्ते जांच कय किया गया खाद्य पदार्थ उडद दाल (श्री रामदूत ब्राण्ड) का नमूना S-1328 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट के अनुसार उडद दाल (श्री रामदूत ब्राण्ड) के पैकिंग लेबल पर Batch No. एवं निर्माण/पैकिगं तिथि अकिंत नही थी, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (पैकेजिंग व लेबलिंग) विनियम 2011 के विनियम संख्या 2.2.2(8) व 2.2.2(9) का उल्लंघन है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र क्रमांक:एफएसएसए/2021/243-46 दिनांक 15.01.2021 से खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट की प्रति प्रतिवादी मोतीलाल घांची व निर्माता फर्म को प्रेषित कर पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर अपील आवेदन प्रारुप 8 में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया है, लेकिन संबंधित ने अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी मोतीलाल घांची की फर्म अमित किराणा स्टोर, हरजी चौराया, जावाल, तहसील व जिला- सिरोही द्वारा खाद्य पदार्थ उडद दाल (श्री रामदूत ब्राण्ड) के 30 किलोग्राम के पैक्ड बेग को बिल नम्बर 5689 दिनांक 23.11.2020 के द्वारा फर्म सालासर ट्रेडर्स, सुमेरपुर से क्रय किये थे, जो प्रतिवादी संख्या-2 (सुरेश कुमार अग्रवाल) की फर्म है तथा प्रतिवादी संख्या-2 की फर्म सालासर ट्रेडर्स, सुमेरपुर द्वारा खाद्य पदार्थ उडद दाल (श्री रामदूत ब्राण्ड) के 30-30 किलोग्राम के पैक्ड बैग को इनवोईस नम्बर 1088 दिनांक 22.7.2020 के द्वारा क्रय किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है, इसके अनुसार मिथ्याछाप खाद्य सामग्री विक्रय हेतु विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, पैकर व विनिर्माता दोषी है।

अत: खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य सामग्री उडद दाल (श्री रामदूत ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी मोतीलाल घांची पुत्र लीलाराम घांची, जाति- घांची, निवासी- नर सिंह जी मन्दिर, तहसील व जिला- सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म अमित किराणा स्टोर, हरजी [illegible] जावाल, तहसील व जिला- [illegible] ...ज छः पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:08:27 IST
Reason: SelfAttested

प्रा. जिला ...
सिरोही-307001

सिरोही पर राशि रुपये 5,000/- (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) एवं प्रतिवादी सुरेश कुमार अग्रवाल पुत्र घिसुलाल जी, निवासी- पिचका वाली गली, जैन मन्दिर, सुमेरपुर, जिला- पाली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं सप्लायर, फर्म सालासर ट्रेडर्स, शंकर बा होटल के पास, मेन बाजार, सुमेरपुर, जिला- पाली पर राशि रुपये 10,000/- (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) तथा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ उडद दाल (श्री रामदूत ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु प्रतिवादी मनोज कुमार अग्रवाल पुत्र श्री रामचन्द्र अग्रवाल, निवासी- बच्चू भाई दाल मिल्स, ई 202, सेकण्ड फेज, करणी इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर, खाद्य कारोबारकर्ता एवं निर्माता, BACHCHU BHAI DALL MILLS, E-204 II Phase, Karni Industrial Area, Bikaner-334001 पर राशि रुपये 25,000/- (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 को आदेशित किया जाता है कि उन पर अधिरोपित शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग-अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खौड)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:08:27 IST
Reason: SelfAttested